2016/00152

(10)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ
(राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कूकरा मांकरा)

पीठासीन अधिकारी –विनोद कुमार मीना आर0 ए0 एस0

अपील संख्या– 10/2016

अवसेतू पुत्रश्री लाखनसिह नाबालिग व सरपरस्ती माता पप्पी पत्नी लाखनसिह जाति ठाकुर निवासी मांकरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

........अपीलान्ट

बनाम

1–ग्राम पंचायत कूकरा मांकरा तामील जरिये संरपच ग्राम पंचायत मांकरा तहसील सैपऊ सैपऊ, जिला धौलपुर

2–श्यामवीरसिह परमार पुत्र परमानन्द जाति ठाकुर निवासी हाऊसिंग बोर्ड कॉलोंनी बाडी रोड धौलपुर

3–रूस्तमसिह पुत्र बुद्वा 4–डम्बरसिह पुत्र बुद्वा जातिगण ठाकुर निवासीयांन मांकरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

...........रेस्पो0

अपील व खिलाफ नामा0 आदेश सरपंच ग्राम पंचायत कूकरा मांकरा तारीखी 21.07.2014 वावत् नामा0 संख्या 137 वाके ग्राम मांकरा तहसील सैपऊ

उपस्थिति– 1–श्री सुरेन्द्रसिह दुबे अभिभाषक – अपीलांट
2–श्री हरिवीरसिह अभिभाषक – रेस्पो0 संख्या 2

निर्णय

दिनांक 15.05.2018

अपीलान्ट की ओर से अपना शिजरा प्रस्तुत करते हुये अपील न्यायालय में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत की कि पक्षकारो के पूर्व पुरूष बुद्वा थे बुद्वा के दो पुत्र डम्बरसिह व रूस्तमसिह हुये, डम्बरसिह के पुत्रगण लाखनसिह,कोकसिह,निहालसिह,रामनरेश व मोनू हुये अपीलान्ट लाखनसिह का पुत्र है । नामा0 संख्या 137 वाके ग्राम मांकरा पूर्व पुरूष बुद्वा के निधन के उपरान्त रेस्पो0 संख्या 3 व 4 पर वाहिस्सा प्रकान्त हुई । विवादित आराजी अपीलान्ट की पैतृक आराजी है जिसमें अपीलान्ट को जन्म से ही खातेदारी अधिकार हासिल है। अपीलान्ट के बाबा रेस्पो0 संख्या 4 डम्बरसिह, व रेस्पो0 संख्या 3 ने रेस्पो0 संख्या 2 से साजकर विवदित आराजी पर स्थगन आदेश रहते हुये भी रेस्पों0 संख्या 2 ने दिनांक 7.4.2016 को विधि विरूद्व बटवारा कर दिया है तथा उक्त आराजी के रेस्पो0 संख्या 3 ने रेस्पो0 संख्या 2 को दिनांक 15.7.2014 को विक्रय कर दिया है जो न्यायालय की सरेआम अवमानना की है । उपरोक्त आराजीयात पर

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर दिनांक 21.8.2006 से स्थगन आदेश जारी है जो उनवानी प्रकरण डम्बरसिंह बनाम विट्टी अपील संख्या 5547/2006 विचाराधीन है।

यह कि आदेश तारीखी 21.7.2014 खिलाफ कायदे कानून है । अधीनस्थ अधिकारी ने नामा0 पारित करते समय किसी प्रकार की जांच नहीं की । अधीनस्थ अधिकारी ने नामा0 पारित करते समय विधि द्वारा स्थापित प्रकिया का प्रयोग नहीं किया है। समस्त कार्यवाही स्थगन आदेश के होते हुए की है जो प्रारंभ से ही शून्य है । अधीनस्थ अधिकारी द्वारा समस्त कार्यवाही अपीलांट की बैक पर कर नामा0 पारित किया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है । अपीलांट को आदेश की जानकारी हल्का पटवारी से जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर दिनांक 16.7.2016 को हुई तत्पश्चात अपीलांट ने तहसील जाकर मालूमात किया जो अपीलांट ने नामा0 की नकल दिनांक 19.7.2016 को तहसील कार्यालय सैपऊ प्राप्त की । अपीलांट बिना देरी किये ज्ञान से अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत की है । अपीलांट द्वारा उपरोक्त विवेचन के उपरान्त निवेदन किया है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत नामा0 आदेश तारीखी 21.7.2014 सरपंच ग्राम पंचायत कूकरा मांकरा वावत् नामा0 संख्या 137 वाके ग्राम मांकरा मन्सूख फरमाया जावे।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा उक्त प्रकरण सुनवाई हेतु राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार –2018 कैम्प अटल सेवा केन्द्र कूकरा माकरा तहसील सैपऊ पर रखा गया। अपीलांट की सरपरस्त माता पप्पी स्वंय व उनके अभिभाषक उपस्थित । रेस्पो0 संख्या 1सचिव ग्राम पंचायत व डम्बरसिंह स्वंय उपस्थित । रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से श्री हरवीरसिंह एडवोकेट उपस्थित । रेस्पो0 संख्या 3 रूस्तमसिंह का नोटिस ग्राम मांकरा में नहीं रहने के कारण अदम तामील प्राप्त हुआ है । रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से एक किता फहरिस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जो शामिल मिसिल किये गये । रेस्पो0 संख्या 1 व 4 ने अपील का कोई जबाब प्रस्तुत करने से इंकार किया ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत सिजरा अनुसार अपीलांट का हित रेस्पो0 संख्या 4 से जुडा है । जो वयनामा रेस्पो0 संख्या 3 द्वारा रेस्पो0 संख्या 2 के पक्ष में किया गया है उसका अपीलांट के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पडता है । रेस्पो0 संख्या 4 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन अपील दिनांक 30.10.2017 को खारिज हो चुकी है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 15.5.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ